FORM NO. III

पूर्व अंकन

(नियम 26)

जिला मुजफ्फरपुर — उपखण्ड अधिकारी — मुजफ्फरपुर — मिड़ावा

मौजा सिंह — कलाम — ग्राम सिंह

विवरण मुकदमात — वर्ष 86 — सं. 91 — सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही सह हस्ताक्षरी अफसर	अफसर के हस्ताक्षर के बाद हुक्म की तामील में जारी हुआ।
19.09.20	अर्जी एवं पत्रावली अधि. अधि. रिपोर्ट पेश हुआ। पूर्व रजिस्टर्ड किया जाता है, सभी प्रतिवादीगण हेतु प्रकाशन सम्मान पत्र जारी नोटिस सकारात्मक द्वारा तामील की जाय। निर्धारित पत्रावली हेतु दिनांक 15.09.2020 को पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी मिड़ावा

15/9/20 पत्रावली पेश हुई। सुनिवादी सं० 1 की ओर से वैधानिक एडवोकेट के वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल करें। मिसल वास्ते पेश करने जवाब दावा हेतु दिनांक 15-10-20 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी मिड़ावा

15/12/20 पत्रावली पेश हुई। वादोत्तर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पत्रावली पर आदेशानुसार आगामी दिनांक 24-12-20 पेश हो।

24/12/20 पत्रावली पेश हुई। वादोत्तर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पत्रावली पर आदेशानुसार आगामी दिनांक 4-3-21 को पेश हो।

4-3-21 पत्रावली पेश हुई। मिसल वास्ते बहस-एकतरफा तामीली हेतु दिनांक 8-3-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, मिड़ावा

8/3/21 पत्रावली पेश हुई। [illegible] के बाद पक्ष वादी [illegible] पेश किया। [illegible] जवाब है। पत्रावली [illegible] एकतरफा वाद तकमील [illegible]

उपखण्ड अधिकारी, मिड़ावा

Not Fresh

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.08.03 12:54:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner